

(174)

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

2018/00055

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर एवं पीठासीन अधिकारी,  
राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट-ज.प्र.व.प.



भागीरथ बनाम सरकार

किस्म मुकदमा - 136 एलआरएक्ट

नम्बर मुकदमा 211 / 2016

| तारीख<br>हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिधियल्स जज   | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुक्म की तामील में<br>जारी हुए |
|----------------|--|--|
| 31/5/18        | <p>आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान-2016 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट, <u>ज.प्र.व.प.</u> में प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मुरतीब की गई। दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रार्थना पत्र वास्ते जॉच रिपोर्ट तहसीलदार (राजस्व), लूनकरनसर को भिजवाया गया। तहसीलदार, लूनकरनसर से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली रहे। प्रकरण से संबंधित तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम/चक <u>वि.स.ता.स.ट.</u> सम्वत् 2072-75 के खाता संख्या 286 में <u>भागीरथ पुत्र जे.का.प. जति सा.टे.</u> दर्ज चला आ रहा है, जिसे प्रार्थी/प्रार्थीगण जरिये दुरुस्ती <u>ज.प्र.व.प.</u> शुद्ध करवाना चाहता है। तहसीलदार, लूनकरनसर ने अपनी रिपोर्ट में वांछित दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की है। तहसीलदार, लूनकरनसर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वांछित दुरुस्ती की जानी लोक अदालत की भावना से हम न्यायोचित समझते हैं।</p> <p>फलस्वरूप राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत रोही मौजा ग्राम/चक <u>वि.स.ता.स.ट.</u> की जमाबंदी सम्वत् 2072-75 के खाता संख्या 286 में दर्ज <u>ज.प्र.व.प.</u> के स्थान पर <u>जति जाट</u> दुरुस्त करने की आज्ञा प्रदान की जाती है। तहसीलदार, लूनकरनसर को दुरुस्ती आदेश पृथक से पालनार्थ जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> |  |

सदस्य  
राजस्व लोक  
अदालत

सदस्य  
राजस्व लोक  
अदालत

22  
31/05/18  
पीठासीन अधिकारी  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
लूनकरनसर